प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

04.11.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे
''आज के मुख्य समाचार''

हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम में वर्ष 2002 में शामिल की गई धारा 163ए को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। इस प्रावधान के तहत सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नियमित करने की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ अब प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस प्रावधान को मनमाना बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं है। प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने की व्यवस्था किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराई जा सकती।

बैठक

प्रदेश में अनुबंध आधार पर नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता व वित्तीय लाभ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी अनुपालना के लिए कवायद शुरू कर दी है। अनुबंध सेवा को वरिष्ठता में शामिल करने का लाभ लगभग डेढ लाख कर्मचारियों को होने की संभावना है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप कार्रवाई और इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ का आंकलन करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

नंद लाल

रामपुर के विधायक व सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष दिवंगत नंद लाल का आज रामपुर में उनके पैतृक गांव देवठी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिवंगत नंद लाल के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित विभिन्न नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पूर्व दिवंगत नंद लाल के पार्थिव शरीर को बीती रात रामपुर के परिधि गृह में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया जहां कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की। इसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव देवठी ले जाया गया। दिवंगत नंद लाल का लंबी बीमारी के बाद बीते रोज शिमला स्थित चमियाना अस्पताल में 72 साल की उम्र में निधन हो गया था।

प्रतियोगिता

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित चौथी समन्वय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट ऑफ लीगल स्टडी ने सर्वश्रेष्ठ मध्यस्थ का पुरस्कार जीता। पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज कोलकाता ने प्रतियोगिता में

सर्वश्रेष्ठ वार्ता जोड़ी का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मध्यस्थता में सफलता सुनने, सोचने और उसके बाद कदम उठाने में है।

भाजपा

प्रदेश भाजपा ने राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन को चुस्त–दुरूस्त बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने महिला, युवा और किसान मोर्चा के माध्यम से सभी 17 संगठनात्मक जिलों में प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। महिला मोर्चा ने प्रभारी के साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं जबकि युवा और किसान मोर्चा ने प्रत्येक जिले की जिम्मेदारी प्रदेश पदाधिकारियों को सौंपी है।

ट्राऊट मछली

ट्राऊट मछली के प्रजनन काल के चलते प्रदेश के सभी नदी–नालों में अगले चार महीनों के लिए ट्राऊट मछली पकड़ने अथवा अखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध पहली नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा और इसका उलंघन करने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट.....

कार्यशाला

आईजीएमसी शिमला में चिकित्सा शोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पहल शुरू हुई है। इसके तहत अस्पताल में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय कॉलेज ऑफ मेडिसन के सहयोग से दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में आईजीएमसी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के 30 फैक्ल्टी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर आईजीएमसी की प्रधानाचार्य ने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा और बेहतर मरीज देखभाल की बुनियाद शोध है।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार